अपील सूचना अधिकार संख्या 74/2020 (GCMS 2020/00126) (पोस्टल ऑर्डर न. 48एफ/311033) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर जरिये आयुक्त नगर परिषद, श्रीगंगानगर एवं तहसील (राजस्व), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.03.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2020 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर 25000/– रूपया शास्ति अधिरोपित करने व हर्जाना प्रार्थी से दिलवाने और वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2020 के द्वारा अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही है :

1. आपका पत्रांक उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित क्रमांक एफ12(3)( )राजस्व/2019/4491 दिनांक 09.10.2019 उपखण्ड कार्यालय, श्रीगंगानगर में पहुंचने की क्रमांक संख्या पत्र प्राप्ति पंजिका व दिनांक की सूचना।
2. पत्र पर की गयी कार्यवाही की सूचना।
3. जांच में पेश किये साक्ष्य व दस्तावेज व जांच रिपोर्ट की सूचना व कार्यवाही की सूचना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. जांच रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना।

5. 32 बीघा 15 बिस्वा जमीन चक 15 एलएनपी द्वितीय,मुरब्बा नं 80 के किला नं. 3, 6 से 8, 13 से 128 व 24 से 25 व मुरब्बा नं. 879 के किला नं. 9 से 12, 19 से 22 भूमि जो राजकीय गौशाला हेतु स्वीकृत है, इस पर निम्न लिखितज सूचनाएं उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

1. भूमि के उपयोग की सूचना।
2. भूमि पर जो कार्य किया जा रहा है, उसकी सूचना
3. भूमि पर जनवरी 2013 से दिनांक 12.05.2020 तक जो आय हुई, उसकी सूचना।
4. भूमि पर कब्जाधारी का नाम व पता
5. भूमि पर काश्त करने वाले का नाम व पता
6. प्रत्येक वर्ष भूमि पर जांच करने वाले पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार द्वारा जो–जो जांच व कार्यवाही व जांच रिपोर्ट विभाग को दी गई, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
7. प्रत्येक वर्ष जो खेती उक्त भूमि पर की गई उस खेती का (जिन्स) का नाम
8. खेती की कुल पैदावार की सूचना।
9. खेती पर आय एकत्र करने वाले का नाम
10. खेती पर आय का उपभोग जिस मद में किया गया, उसकी सूचना वर्ष जनवरी 2[illegible] दिनांक 13.05.2020 तक प्रत्येक व[illegible] प्रति।
11. अवैध कब्जाधारी [illegible] स्थिति में उसका नाम व जिस अवधि से अवैध कब्ज[illegible]री है, उसकी सूचना।
12. अवैध कब्जाधारी पर की गई कार्यवाही की सूचना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 721 दिनांक 10.08.2020 से प्रार्थी का मूल पत्र प्रभारी अधिकारी, **राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को प्रेषित किया है।** प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 2341 दिनांक 11.08.2020 से सूचित किया गया है कि प्रार्थी **अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रार्थना पत्र आयुक्त नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को** अपने पत्रांक 1960–61 दिनांक 10.07.2020 से वांछित सूचना समयावधि में देने हेतु भिजवाया गया है **और अपीलार्थी को बिन्दु सं 1 से 4 हेतु निम्नानुसार सूचित किया है:**

> बिन्दु संख्या 1 मे वर्णित इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ12(3)( )राजस्व/2019/4491 दिनांक 09.10.2019 से उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित नहीं है। बिन्दु संख्या 2, 3 व 4 उक्त पत्र से सम्बन्धित होने के कारण सूचना शून्य है।

तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने दिनांक 04.08.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) मे तहत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र रीमान लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर) से इस कार्यालय में आपका आवेदन बिन्दु संख्या 5 के उपबिन्दु 1 ता 12 में चाही गई सूचना प्रदान करने हेतु हस्तान्तरित होकर प्राप्त हुआ है। आपने चक 15 एलएनपी द्वितीय मुरब्बा नंत्र 80 के किला नं. 3, 6 से 8, 13 से 18, 24, 25 व मुरब्बा नम्बर 89 किला

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नं. से 12, 19 से 22 भूमि जो राजकीय गौशाला हेतु स्वीकृत है इससे सम्बन्धित सूचना चाही है, जिसमें बिन्दुवार विवरण निम्नांकित प्रकार से है :

क्रमांक	चाही गई सूचना	विवरण
1	भूमि के उपयोग की सूचना	आपके द्वारा इस कार्यालय के किसी दस्तावेज की नकल नहीं चाही गई है। इस कारण यह सूचना के अधिकार में देय नहीं है।
2	भूमि पर जो कार्य किया जा रहा है, उसकी सूचना	क्रमांक 1 अनुसार
3	भूमि पर जनवरी 2013 से दिनांक 12.05.2020 तक जो आय हुई, उसकी सूचना।	क्रमांक 1 अनुसार
4	भूमि पर कब्जाधारी का नाम व पता	क्रमांक 1 अनुसार
5	भूमि पर काश्त करने वाले का नाम व पता	क्रमांक 1 अनुसार
6	प्रत्येक वर्ष भूमि पर जांच करने वाले पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार द्वारा जो–जो जांच व कार्यवाही व जांच रिपोर्ट विभाग को दी गई, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	क्रमांक 1 अनुसार
7	प्रत्येक वर्ष जो खेती [illegible] भूमि पर [illegible] का (जिन्स) का नाम	[illegible]मांक 1 अनुसार
8	खेती की कुल पैदावार [illegible] सूचना।	क्रमांक 1 अनुसार
9	खेती पर आय एकत्र करने वाले का नाम	क्रमांक 1 अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

10	खेती पर आय का उपभोग जिस मद में किया गया, उसकी सूचना वर्ष जनवरी 2.013 से दिनांक 13.05. 2020 तक प्रत्येक वर्ष की आय की सूचना व कार्यालय प्रति।	क्रमांक 1 अनुसार
11	अवैध कब्जाधारी पाये जाने की स्थिति में उसका नाम व जिस अवधि से अवैध कब्जाधारी है, उसकी सूचना।	क्रमांक 1 अनुसार
12	अवैध कब्जाधारी पर की गई कार्यवाही की सूचना।	क्रमांक 1 अनुसार

तहसीलदार (भू.अभि.)
श्रीगंगानगर

चूंकि तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब अपीलार्थी को उक्तानुसार दिया है **और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे [illegible] लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह [illegible] रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के [illegible] सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज **करने योग्य है। क्योंकि अपीलार्थी का प्रार्थना प्रत्र लोक सूचना अधिकारी राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा आयुक्त नगर परिषद्, श्रीगंगानगर को भी भेजा गया है इसलिए आयुक्त नगर परिषद्, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित कोई सूचना वांछित है तो उसे नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर के समक्ष चाराजोही करनी चाहिए और सूचनाओं से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपीलार्थी को नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर के सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष की कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है।**

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन),श्रीगंगानगर, प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible].2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:28 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर